**भारत सरकार**

**वित्‍त मंत्रालयराजस्‍व विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1338**

**(जिसका उत्‍तर मंगलवार, 14 मार्च, 2017/ 23 फाल्गुन, 1938 (शक) को दिया जाना है)**

**काले धन का आंकलन**

**1338. श्री हुसैन दलवईः**

**क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या विमुद्रीकरण का एक उद्देश्य काले धन का पता लगाना था;

(ख) यदि हां, तो सरकार काले धन की क्या परिभाषा करती है, और किन विधियों से यह परिभाषा ली गई है;

(ग) इस परिभाषा के अनुसार सरकार यह किस प्रकार आंकलन करेगी कि जमा की गई राशि काला धन है तथा कितना काला धन जमा किया गया है; और

(घ) इस परिभाषा के अनुसार 8 नवम्बर की तारीख की स्थिति के अनुसार सरकार ने वर्तमान काले धन का क्या आंकलन किया है तथा सरकार ने विमुद्रीकरण मुहिम के बाद कितने काले धन का

पता लगाया है?

**उत्तर**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)**

(क) एवं (ख) काले धन को समाप्त करना, नोटबंदी के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य था, जैसा कि इस बारे में भारत सरकार की दिनांक 8 नवम्बर, 2016 की प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है। काले धन की कोई सांविधिक परिभाषा नहीं है। सामान्य काले धन से आशय उस औय और परिसंपत्ति से है, जिसके बारे में कर अधिकारियों को नहीं बताया जाता।

(ग) एवं (घ) भारत में काले धन के संबंध में कोई सरकारी अनुमान नहीं है

आयकर विभाग (आईटीडी) ने 9 नवंबर से 30 दिसम्बर, 2016 तक की नोटबंदी अवधि की के दौरान जमा नकद धनराशि के ई-सत्यापन के लिए 31 जनवरी, 2017 को ‘‘ऑपरेशन क्लीन मनी’’ शुरु किया है। इसने ऐसे 17.92 लाख व्यक्तियों का पता लगाया है, जिनकी टैक्स प्रोफाइल नोटबंदी की अवधि के दौरान उनके द्वारा किए गए नकद जमा के अनुरूप नहीं है। प्रारंभिक चरण के एक हिस्से के रूप में आयकर विभाग ने इन 17.92 लाख व्यक्तियों द्वारा जमा की गई नकद राशि के संसाधनों पर पूर्वनिर्धारित पैरामीटरों के अनुसार ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रत्युत्तर मांगा है। विभाग ने 1100 से अधिन सर्च और सर्वे कार्रवाईयां भी की और उच्च मूल्य की नकद जमा राशि के संदिग्ध लेने-देन के सत्यापन के लिए लगभग 5100 नोटिस जारी किए। इन कार्रवाईयों के परिणामस्वरूप दिनांक 10 जनवरी, 2017 की स्थिति के अनुसार 610 करोड़ रूपए से अधिक कीमती समान की जब्ती की गई, जिसमें 513 करोड़ रूपए की नकद धनराशि और 5400 करोड़ रूपए से अधिक स्वीकार की गई अघोषित आय शामिल है।

**\*\*\*\*\***